

क्रमांक : शिविरा—मा / माध्य—द / 22492 / प्रवेशोत्तर / 2019-20 387

दिनांक : 14.01.2021

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।

विषय : नामांकन वृद्धि तथा अनामांकित, ड्रॉप आउट बच्चों एवं कोविड-19 के कारण प्रवेश से वंचित बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेश की तिथि बढ़ाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : इस कार्यालय का समसंब्यक पत्र दिनांक : 20.11.2020


उपर्युक्त विषयान्तर्गत पूर्व प्रसारित निर्देश पत्र द्वारा राज्य में संचालित समस्त सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में नवीन प्रवेश की अंतिम तिथि 10.12.2020 निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ा कर दिनांक 31.01.2021 किया जाता है। पूर्व प्रदत्त निर्देशानुसार आर.टी.ई. के तहत कक्षा 1 से 8 में प्रवेश सत्रपर्यन्त हो सकेंगे।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, वीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) राजस्थान, वीकानेर।
6. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला कलवटर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद।
9. विकास अधिकारी, समस्त पंचायत समिति।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
11. उप निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा।
12. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा।
13. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर/सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
14. राज्य समन्वयक N.I.C, जयपुर एवं सहायक निदेशक प्राइवेट स्कूल पोर्टल (पीएसपी) अनुभाग, कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना पीएसपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों को प्रसारित कर ऑनलाईन प्रक्रिया के माड्यूल में प्रवेश हेतु वांछित संशोधन कर नवीन आदेशों के क्रम में गैर-सरकारी विद्यालयों को पालना हेतु पाबंद करावें।
15. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
16. वरिष्ठ सम्पादक 'शिविरा', प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
17. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
18. समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान, समस्त राजकीय विद्यालय।
19. रक्षित पत्रावली।


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, वीकानेर